न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 279 / 2017

उनवान

1. जीतमल पुत्र देबी लाल धाकड निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, जिला भीलवाडा
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 66 / 2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर सी सारस्वत, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 529 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 7.2.1981 को जरिये मिसल संख्या 58 / 81 के आवंटन किया गया । दिनांक 6.5.1981 को मौके पर नपती कर आवंटित भूमि का कब्जा वादी को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सिपुर्द किया गया तब से वादग्रस्त आराजी पर काबिज हो काश्त उपभोग करता चला आ रहा है। भूमि को उन्नत व आबाद कर काश्त योग्य बनाई। भूमि के चारों तरफ पत्थरों की दिवार लगाई है। आवंटित भूमि का इन्द्राज आज दिनांक तक सहवन से वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में नहीं किया गया । वादी आवंटन शर्तो की पालना कर काश्त करता आ रहा हैं इस त्रुटि को दुरूस्त कराने बाबत वादी ने कई बाद प्रतिवादी को कहा किन्तु राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम भूमि दर्ज नहीं की गई। वादी को प्रथम बार दिनांक 16.9.2015 को ऋण लेने हेतु नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई। प्रतिवादी सरकार को 80 सी पी सी का नोटिस जारी करवाया किन्तु फिर भी रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं किया । अतः बिनाय वाद दिनांक 16.9.2015 को एवं दिनांक 29.9. 2015 को धारा 80 सी पी सी का नोटिस प्रेषित किया तब से उत्पन्न होकर सतत् रूप से जारी है। अतः वाद पत्र डिक्री फरमाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खाारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीखेडा स्थित आराजी संख्या 529 रकबा 30 बीघा 18 बिस भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा दिनांक 7.2.

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1981 को जरिये मिसल संख्या 58 / 1981 से अपीलार्थी को आवंटित की गई थी एवं दिनांक 6.5.1981 को मौके पर नपती कर सिपूर्दगीनामे के साथ आवंटित भूमि का कब्जा अपीलार्थी / वादी को सिपुर्द कर दिया गया । जिसके उपरान्त अपीलार्थी / वादी उक्त भूमि पर काबिज हो काश्त व उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं इस भूमि को उन्नत आबाद व काश्त योग्य बनाई है। जिसके चारों तरफ पत्थरों की दिवार भी बाई है आज भी कब्जा अपीलार्थी / वादी का चला आ रहा है। किन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड नहीं की गई। इस बाबत अनेक बार निवेदन करने के बाद धारा 80 सी पी सी का सूचना पत्र भी प्रत्यर्थीगण को भिजवाया गया जिसका जवाब प्रत्यर्थीगण ने वादी अपीलार्थी के आवंटन को स्वीकार करते हुए प्रेषित किया । किन्तु राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं की गई। जिस वजह से अपीलार्थी / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया । अपीलार्थी / वादी ने अपने वाद को बखूबी साबित कराया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अकारण ही वाद पत्र स्वीकार न कर खारिज कर गंभीर त्रुटि की है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वाद पत्र का जवाब अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी की ओर से प्रदर्श 11 जो नोटिस का जवाब था को ही स्वीकार किया है। जिसमें अपीलार्थी के वाद पत्र को पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद बिन्दु कायम नहीं किये क्योंकि किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं था। इस कारण वाद पत्र बिना साक्ष्य ही स्वीकार व अपीलार्थी के पक्ष में निर्णित योग्य था। जिसे अपीलाधीन निर्णय द्वारा खारिज करने में भारी विधिक भूल की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी के बयान गवाह पी डब्ल्यू 1 के रूप में हुए । आवंटन पत्रावली 58/81 की प्रमाणित प्रतियॉ प्रदर्श 1 लगायत 4 पेश हुई तथा वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श 5 के अनुसार उक्त आराजी वर्तमान में भी बिलानाम दर्ज है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.4.2015 को तहसील बिजौलिया से मौके की रिपोर्ट तलब की जिसमें सिपुर्दगीनामा के नक्शे के अनुसार अपीलार्थी काबिज होकर पत्थरो की दिवार लगी होना, काश्त होना, अपीलार्थी का ही कब्जा होकर किसी अन्य का कब्जा नहीं होना , मौके पर कोई विवाद न होना पाया गया है। इस प्रकार पर्चा मौका दिनांक 17.4.2015 से भी वाद पत्र पूर्ण रूप से सिद्ध था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों व दस्तावेजों की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में समस्त दस्तावेजात की अनदेखी की है । लम्बी अवधि तक अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने की जानकारी नहीं होना संदेहास्पद मानकर पट्टा फीस लेकर नामान्तरकरणदर्ज होने का आधार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में लिया है। जबकि विधि अनुसार धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद हेतु कोई समय सीमा नहीं है और पट्टा फीस की राशि के आधार पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होना भी अधीनस्थ न्यायालय का गलत विवेचन है। अपीलार्थी ने अपने वाद पत्र को राजस्व रेकार्ड, पर्चा मौका से पर्याप्त रूप से साबित कराया है । उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी वादी का वाद खारिज किया है। जो विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी नम्बर 529 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी ने अपना कब्जा होने सबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया । जिससे अपीलार्थी वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी का आवंटन होना एवं आवंटन के बाद वादग्रस्त आराजी की सिपुर्दगी किया जाना एवं उसके बाद से लगातार वादी ने अपना कब्जा होने का कथन किया । अपीलार्थी का कथन है कि उसे दिनांक 16.9.2015 को ऋण लेने हेतु नकल प्राप्त करने पर जानकारी होना बताया गया था। अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 7.2. 1981 को जरिये मिसल संख्या 58/81 के आवंटन किया गया एवं दिनांक 6.5.1981 को मौके पर नपती कर आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया । अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का आवंटन के समय से ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। परन्तु अपीलार्थी ने अपने कब्जा वादग्रस्त भूमि पर होने के संबंध में कोई दस्तावेज, जिन्स गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है । क्योंकि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम ही दर्ज रही । यदि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त की जाती तो निश्चय ही अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर बेदखली की कार्यवाही की जाती । मौके पर मात्र पत्थर की दिवार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्थित होने से वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त होने के संबंध में कोई राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जिससे अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा साबित हो। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2017 को यथावत रखा जाता हैं।

11. निर्णय आज दिनांक 28.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा